न्यायालय–प्रशांत कुमार, अवर न्यायाधीश प्रथम, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–144/2022

चन्द्रवंश नारायण सिंह.....वादी

बनाम

रघुवंश नारायण सिंह एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
03.08.2024	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादी की ओर से एक आवेदन दिनांक 16.12.2023 अंतर्गत आदेश 06 नियम 17 एवं दफा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत संशोधन आवेदन दाखिल किया गया है, जो आज दिनांक 03.08.2024 को सुना। **आदेश (ORDER)** वादी की ओर से अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद में वादीगण के द्वारा प्रतिवदीगण के खिलाफ लाया गया है। वाद अभी प्रारंभिक अवस्था में है। वादपत्र देखने से स्पष्ट हुआ कि टाईपिस्ट की गलती से कुछ शब्द गलत टंकित हो गया है। जिसे न्यायहित में सुधार कर लेना आवश्यक है। प्रस्तुत संशोधन औपचारिक है। इससे वाद की प्रकृति में कोई बदलवा नही हो रहा है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादी के संशोधन आवेदन को स्वीकार करने की कृपा करें। इसके लिए वादी श्रीमान् का सदैव आभारी रहेंगे। प्रतिवादी सं0–01 की ओर से वादी के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 28.06.2024 को दाखिल कर कहा गया कि वादीगण का आवेदन विधि एवं कानून की दृष्टि में परिपालनीय नहीं होने के कारण खारिज योग्य है। वादी जिन तथ्यों को संशोधन के माध्यम से जोडना चाहते है उससे वाद का स्वरूप बदल जायेगा। अतः आवेदन खारिज होने योग्य है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद अभी प्रारंभिक अवस्था में है। प्रतिवादी सं0–02 एवं 03 प्रत्युत्तर दाखिल नहीं करना चाहते है तथा मौखिक निवेदन करते है कि उन्हें संशोधन से	

न्यायालय–प्रशांत कुमार, अवर न्यायाधीश प्रथम, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–144/2022

चन्द्रवंश नारायण सिंह.....वादी

बनाम

रघुवंश नारायण सिंह एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 03.08.2024	कोई आपत्ति नहीं है एवं प्रतिवादी सं0–04 से वादी को प्रस्तुत वाद में सुलह हो गया है, जिसकी आवेदन अभिलेख पर उपलब्ध है। आदेश 06 नियम 17 में कोई भी पक्षकार न्यायालय कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर अपने अभिवचनों को परिवर्तित या संशोधित करने के लिए अनुज्ञाप्त कर सकेगा और वे सभी संशोधन किये जायेगें। जो दोनो पक्षों के बीच विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के आवधारण के परियोजन के लिए आवश्यक हो। वादी द्वारा प्रस्तावित संशोधन सामान्य प्रकृति का है। इससे वाद की प्रकृति पर कोई प्रभाव पडना प्रतीत नही होता है लेकिन वादी के द्वारा अगर वादपत्र दाखिल करते समय सतर्कता बरती जाती तो प्रस्तुत आवेदन की आवश्यकता नही होती। वाद में वादी एवं प्रतिवादी सं0–04 के बीच सुलह हो गया है। अतः ऐसी दशा में न्यायहित में वादी का आवेदन दिनांक 16.12.2023 मो0–2000/– हर्जे पर स्वीकृत किया जाता है तथा उनके विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह विधिक समय सीमा के तहत वादपत्र में आवेदनानुसार अपेक्षित संशोधन करें। वाद दिनांक 17.08.2024 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	